11 व 12 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली स्थित यूनेस्को सेंटर में संपन्न "सामुदायिक रेडियो सषक्तिकरण" पर राष्ट्रीय विमर्श की सिफारिशें

भारत में सामुदायिक रेडियो को सशक्त बनाने के लिए 11,12 अप्रैल 2017 को दिल्ली में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन , सामुदायिक रेडियो पर यूनेस्को पीठ और यूनेस्को (UNESCO) , नई दिल्ली द्वारा किया गया। सामुदायिक रेडियो सुदृढ़ीकरण विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। यह विमर्श 11 व 12 अप्रैल 2017 को सामुदायिक मीडिया और यूनेस्को (UNESCO) नई दिल्ली के तत्वावधान में संपन्न हुआ। विमर्श में निम्न उद्देश्यों के लिए गठित छोटे समूहों द्वारा लिखे गए छह पर्चे प्रस्तुत किए गए– समाशोधन, क्षमता निर्माण, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण तथा मूल्यांकन और नीति । इसमें सक्रिय सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सीआर नेटवर्क, अधिवक्ताओं , क्षमता निर्माण संगठन, अकादमिक संस्थान, और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

विस्तृत विचार–विमर्श के बाद प्रतिभागियों ने भारत में सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के सशक्तिकरणकी दिशा में कई सिफारिशों का समर्थन किया जिसे विषयगत रूप में आगे दिया गया है।(प्रत्येक विषय–वस्तु में सरकार और सामुदायिक क्षेत्र के लिए सिफारिशें अलग–अलग प्रस्तुत की गई हैं, जबकि कुछ सिफारिशों की पुनरावृत्ति दोनों में हुई है।)

समाषोधन /समावेश निष्पक्षता और विविधता

सामुदायिक रेडियो क्षेत्र के लिए

- सामुदायिक रेडियो को सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा एवं संप्रभुता, शिक्षा तथा विकलांगता अधिकार जैसे सामाजिक आंदोलनों के साथ संगठन बनाना चाहिए। ये संगठन विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों, मुद्दों और आवाजों को बढ़ाने में मदद करेंगें।संचार के अधिकार, आवाजों की सामूहिकता सुनिश्चित होने के साथ–साथ सक्रिय नागरिकता का निर्माण होगा।

- सामुदायिक रेडियो को समाज में उभरती नई सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर भी चिंतन करना चाहिए जिसमें बदलती जीवनशैली, लोगों के बीच सामाजिक समीकरण तथा प्रतिनिधित्व के विभिन्न तरीकों और कलात्मक भाव जैसे सांस्कृतिक विविधता के नए रूपों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

- शब्द 'समुदाय' एक चुनौतीपूर्ण अवधारणा है और व्यवहार में इसकी अभिव्यक्ति काफी जटिल है। विपरीत परिस्थितियों और सक्रिय रूप में 'समुदाय' की समझ को अधिक विकसित करने के लिए सामुदायिक रेडियो के हितधारकों द्वारा अवश्य प्रयास किया जाना चाहिए। उन्हें समुदाय की आतंरिक बनावटों की ताकत के प्रति अवश्य संवेदनशील होना चाहिए जो हर किसी के लिए समान रूप से भाग लेने और सभी दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल बनाते हैं।

- AMRC द्वारा संचालित जेंडर तथा लैंगिक समानता के लिए बनाए गए निदेशक सिद्धांत तथा रेडियो कार्यक्रम निर्माण के लिए लैंगिक तथा जैंडर समानता की मार्गदर्शिका तथा ऐसे संबंधित दस्तावेजों को रेडियो के कर्मचारियों, स्वयंसेवकों के साथ–साथ प्रबंधन से जुड़े लोगों की क्षमता निर्माण प्रक्रिया में अवश्य शामिल करना चाहिए।

सरकार के लिए

हिंसाग्रस्त क्षेत्रों व संचार माध्यमों द्वारा नजरअंदाज किए गए क्षेत्रों में अग्र सक्रिय हो कर लाईसेंसिंग के लिए सामुदायिक रेडियो नीति को अवश्य प्रावधान का निर्माण करना चाहिए। विकास और उससे जुड़े मुद्दों पर लोकतांत्रिक विचार–विमर्शों और सामूहिक कार्य के लिए स्थानों और अवसरों को प्रोत्साहित करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए । खासकर उन विषयों पर जो विकास के हाशिए पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं।

- नीति में आपदा शमन, रोकथाम, प्रबंधन और राहत उपायों को सुविधाजनक बनाने के लिए आपात तथा मोबाइल सामुदायिक रेडियो लाइसेंस जारी करने का प्रावधान होना चाहिए।.
- सरकार को ऐसी क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए जहां एकरूपता और विविधता के सिद्धांतों , प्रक्रियाओं और व्यवहारों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संवेदनशील किया जा सके।

क्षमता निर्माण

सामुदायिक रेडियो (सीआर) क्षेत्र के लिए

- सामुदायिक रेडियो में फंड की पहल करने वाले हितधारक (CEMCA, UNICEF, UNESCO) यदि संभव हो तो प्रारूप के साथ बेहतर योजनाओं में सहायता करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय/सामुदायिक रेडियो कंसोर्टियम के साथ अपने विशेष हितों और मुख्य क्षेत्रों को साझा कर सकते हैं।
- कार्यक्रमों में नवीनता और उस पर आगे विचार करने लायक बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण के लिए मीडिया के विभिन्न तरीकों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों जैसे लैंगिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य आदि के लिए रंगमंच, लोककला और अन्य माध्यमों से लोगों को शामिल किया जाए ।
- कार्यक्रमों में नवीनता और उस पर आगे विचार करने लायक बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण के लिए मीडिया के विभिन्न तरीकों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों जैसे लैंगिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य आदि के लिए रंगमंच, लोककला और अन्य माध्यमों से लोगों को शामिल किया जाए ।

- प्रशिक्षण सामग्रियों को समेकित करना और आम रचनात्मक लोगों के लिए उपलब्ध कराना। सामग्रियों के प्रभावी उपयोग में सहायता के लिए अनुवाद अधिकारों तथा समर्थन के साथ प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाओं पर विचार किया जा सकता है।

- विभिन्न एजेंसियां एक सामान्य न्यूनतम प्रशिक्षण एजेंडे के लिए साझेदार बन सकती हैं और प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पहचानने में सहायता कर सकती हैं।

- काम कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को हितधारकों और एमआईबी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ही केवल निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर अपनी स्वयं की प्रशिक्षण संस्कृति और नियमित अंतराल में पुनर्वीक्षा विकसित करना चाहिए।

- यदि प्रत्येक भाषाई क्षेत्र से मास्टर प्रशिक्षक का निर्माण हो तो प्रशिक्षण कार्य किफायती, त्वरित और अल्पकालिक हो सकता है तथा रिफ्रेशर ट्रैनिंग का अयोजन भी किया जा सकता है।

- सीआरएस को अपने स्टेशनों में एक संस्कृति की शुरूआत करनी चाहिए जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहकर्मी के साथ सभी विचार, शिक्षा, सामग्री साझा कर सकें।

- प्रशिक्षण के पश्चात नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो के सहकर्मियों को सलाहकारों की सलाह उपलब्ण रहनी चाहिए।

सरकार के लिए

- इस क्षेत्र के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण गतिविधियों को बेहतर समन्वयीत करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,एजेंसियां तथा संगठनों के सहायता संघ के साथ मिल कर प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कर सकता है।

- प्रशिक्षण प्रदान करने योग्य संस्थाओं की सूची तैयार करें ।

- सक्षम विशेषज्ञों/व्यक्तिगत सलाहकारों का सक्रिय डाटाबेस बनाएं तथा ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दें जिससे श्रोता अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो।

- विभिन्न प्रकार के संस्थानों, क्षेत्रों और भाषाई क्षेत्रों के लिए एक प्रशिक्षण कैलेंडर का विकास करना।

- कार्यक्रमों में नवीनता और उस पर आगे विचार करने लायक बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि प्रशिक्षण के लिए मीडिया के विभिन्न तरीकों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाए। प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों जैसे लैंगिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य आदि के लिए रंगमंच, लोककला और अन्य माध्यमों से लोगों को शामिल किया जाए ।

- प्रशिक्षण सामग्रियों को समेकित करना और आम रचनात्मक लोगों के लिए उपलब्ध कराना। सामग्रियों के प्रभावी उपयोग में सहायता के लिए अनुवाद अधिकारों तथा समर्थन के साथ प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाओं पर विचार किया जा सकता है।

सामुदायिक रेडियो (CR) क्षेत्र के लिए

- सामुदायिक रेडिया को विकास का उपकरण मानने की अवधारण से परे हट कर इसे संविधान में उल्लेखित 'संचार की स्वतंत्रता' के अधिकार के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद (19)(1)(अ) में प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
- सी आर स्टेशनों के लिए मुख्य वित्तपोषण स्थापित करें जिससे कि सामुदायिक रेडियो की परिचालन लागत पूरी हो जाए, और वे रेडियो कार्यक्रम निर्माण पर ध्यान दे सकें।
- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बीच सहकर्मी यात्राओं तथा जानकारी के आदान–प्रदान को सुगम बनाया जाए। इसके लिए भौतिक और ऑनलाईन संसाधनों की व्यवस्था हो। यह कार्य स्पष्ट परिणामों से जुड़ा है।

सरकार के लिए

- विशेषकर सीआर स्थिरता और बेहतर व्यवहारों (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक) को साझा करने के साथ–साथ दस्तावेज और ऐसे अभिनव व्यवहारों के साझा करने के लिए परामर्श स्थापित करें।
- अपनी मूल संस्था से अलग सामुदायिक रेडियो को अपनी एक विशिष्ट पहचान तथा उभरने के लिए नियामक ढ़ांचे में संशोधन करें।
- सामुदायिक रेडियो के संचालन तथा निर्णय प्रणाली में समुदाय का स्वामित्व, लाईसेंस पाने की प्रक्रिया के साथ ही निवार्य करें ताकि आगे चल कर समुदाय को रेडियो स्टेशन सौंपने की कार्यवाही ना करना पड़े।
- नियमित अंतराल पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के सामाजिक ऑडिट को अनिवार्य करें, और अपने सीआरएस के लिए ऐसी प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए सीआर स्टेशनों की क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं का विकास करें।
- सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर लगे को ढ़ील दें, और सीआर पर स्थानीय समाचारों व सूचनाओं के मुफ्त संग्रह और प्रसारण की अनुमति दें।
- सी आर क्षेत्र के लिए क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं को विस्तृत और संस्थागत बनाएं तथा स्थिरता विशिष्ट घटकों को शामिल करें। स्थिरता के विभिन्न पहलुओं में नवीन समाधानों को प्रोत्साहन दें।
- प्रशिक्षण की विशिष्ट धारा के रूप में प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण के साथ–साथ सीआर तकनीक स्थिरता के लिए क्षमता निर्माण का विस्तार करें।

- सामुदायिक रेडियो को डीएवीपी से मिलने वाले भुगतान को सुप्रवाही बनाएं । साथ ही सामुदायिक रेडियो की आय और हितधारक संगठन/ सीआर के क्षत्रीय सहयोगी को सरकार से मिलने वाले विज्ञापनों और प्रायोजन की सीमा निर्धारित करें ताकि रेडियो की स्वतंत्रता तथा आर्थिक–विविधता बरकरार रहे।

- सामुदायिक रेडियो स्टेशन के बीच जानकारी तथा प्रयोगों के आदान–प्रदान को प्रोत्सहित किया जाए। कार्यक्रम में ठोस परिणाम शामिल हों।

- सीआर लाइसेंस का समुदाय–अनुकूल हस्तानांतरण प्रक्रिया को डिजाइन और अधिसूचित करें जो सीआर के प्रबंधन और सामुदायिक स्वामित्व के मूल सिद्धांतों का सम्मान करें।

- सरकार और हितधारकों के साथ एक स्वायत्त/स्वशासी क्षेत्रीय फंड के रूप में सीआर सहायता निधि का नया स्वरूप बनाएं और पुनःस्थापित करें, साथ ही सीआर प्रौद्योगिकी स्थानीयकरण के लिए सहायक नियामक रूपरेखाओं का पुनः निर्माण करें।

- विभिन्न मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्य व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से , FCRA 2010 जैसी नीतियों पर विचार विमर्श करें जिनके प्रावधानों के कारण सामुदायिक रेडियो के विस्तार में बाधा आती है।

प्रौद्योगिकी

सरकार के लिए

- SACFA और फ्रीक्वेंसी आवंटन दोनों के लिए आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण एक लंबित मांग रही है। इसे तुरंत लागू करने की आवश्यकता है।

- WPC (डब्लूपीसी) में एक विशेष और कुशल सहायता डेस्क इस समय की आवश्यकता है। कई आवेदकों का कहना है कि SACFA और फ्रिक्वेंसी आवंटन मुद्दे पर पूछताछ के लिए डब्ल्यूपीसी उदासीन है।

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम का एक व्यवस्थित, तर्कसंगत और गतिशील मानचित्र तैयार करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है ताकि हम स्पेक्ट्रम आवंटन में निष्पक्ष तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को नजरअंदाज न करें।

- 20 वॉट और इससे नीचे के लाइसेंस को सरल या बिना लाइसेंस वाली प्रसारण व्यवस्था बनाने की जरूरत है।

- सीआर क्षमता निर्माण की वृहत प्रक्रिया के भीतर सीआर प्रौद्योगिकी और तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट क्षमता निर्माण कार्यक्रम की स्थापना करें, खासकर जो सीआर कोश से समर्थित हो।

- सीआर सहायता योजना के तहत प्रौद्योगिकी पुनरोद्धार सहायता को पुनः सशक्त बनाया जाए (एमआईबी ने कुछ साल पहलेइस कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे परंतु कुछ भी नहीं हुआ)।

- सीआर स्टेशन की स्थापना की लागत को कम करने के लिए सीआर उपकरण पर आयात शुल्क को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता है। MIB एमआईबी और MOCIT एमओसीआईटी दोनों को संबंधित मंत्रालयों के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि यह प्रभावी हो सके। इसमें पूरी तरह से निर्मित उपकरण इकाइयां , ट्रांसमीटरों के लिए संयोजन पैकेज और सीआर उपकरण के घटक जो भारत में निर्मित नहीं होते हैं, सभी शामिल होने चाहिए।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है कि किस परिस्थिति में 250 ईआरपी तक की बढ़ाई गई वाट क्षमता प्रदान की जाए। इन परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम का अभाव है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

- तकनीकी के वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित मानक बेहद कड़े और अव्याहारिक है। तकनीकी क्षेत्र में होने वाले बदलावों के अनुरूप काम करने के लिए यथोचित और लचीले मापदंड आवश्यक हैं।

- सम्मिलन चाहने सीआर स्टेशनों के लिए अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए।
- सम्मिलन प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से समुदाय के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया जाता है। समुदायों की भागीदारी के आरंभ के लिए केवल इतना ही लिए पैरामीटर नहीं हो सकता है। कार्य की गहराई पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- सामुदायिक रेडियो को डिजीटल करने का कोई भी प्रयास एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। सामुदायिक रेडियो के क्षत्र में अन्य देशो से जानकारी हांसिल करने की दिषा में कोई नीति बनाने से पहले इसकी स्पष्ट समय–सीमा की घोषणा करना चाहिए।

शोध, प्रलेखन, मूल्यांकन

सामुदायिक रेडियो (CR) क्षेत्र के लिए

- जमीनी ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए सीआर स्टेशनों के बीच आदान–प्रदान की प्रक्रियाएं अवश्य होनी चाहिए। साझा करने, सीखने और सहयोग के लिए मौजूदा मंचों को निरंतर और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए।

- सीआर स्टेशनों के बीच शोध तथा प्रलेखन कौशल को विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण का प्रयास अवश्य करना चाहिए।

- सीआर सह–व्यवस्था की दिशा में इस क्षेत्र को काम करना चाहिए तथा एक संगठन का गठन कर ऐसी आचार संहिता अपनाना चाहिए जो भारत में सीआर क्षेत्र के मुख्य गैर–परक्राम्य सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेगा।
- मुख्य धारा की मीडिया द्वारा अपनाए गए शोध, निर्धारण और मूल्यांकन के तरीके सीआर क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं। सामुदायिक रेडियो के दर्शन तथा मूल भागीदार सिद्धांतों के अनुरूप शोध तथा मूल्यांकन की नई तथा यथोचित प्रक्रियांए व कार्यप्रणाली बनानी चाहिए।

सरकार के लिए

- सी आर स्टेशनों के भीतर शोध और प्रलेखन कौशल विकसित करने के लिए क्षमता–निर्माण के प्रयासों को अवश्य स्थान मिलना चाहिए।
- स्व–मूल्यांकन तथा सहकर्मी–पुनर्वीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और सह–शिक्षा तथा लगातार सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- सरकार को सीआर में शोध और प्रलेखन के लिए सहायता करना चाहिए, और जब ऐसे अध्ययन शुरू किए जाते हैं तो विभिन्न हितधारकों के साथ निष्कर्षों को अवश्य साझा किया जाना चाहिए तथा उनके निहितार्थों को पारदर्शी तरीके से चर्चा करना चाहिए।
- मुख्य धारा की मीडिया द्वारा अपनाए गए अनुसंधान, निर्धारण और मूल्यांकन के तरीके अवश्य सीआर क्षेत्र के लिए अलग होने चाहिए और सामुदायिक रेडियो के दर्शन तथा मूल भागीदार सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
- नीति–निर्माण को सूचित करने तथा सीआर क्षेत्र की सहायता के लिए प्रलेखन, अनुसंधान और मूल्यांकन जैसी व्यवस्थित प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

सीआर नीति

सरकार के लिए

लाइसेंस देना

- सामुदायिक रेडियो में भागीदारी बढ़ाने हेतु लाईसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में समुदाय सेवा के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले संगठनों , जिनका राजनीतिक दलों से संबद्धता नहीं हो और सहकारी समितियों, गैर–सरकारी निकायों को सीआर लाईसेंस देने की अनुमति होना चाहिए।

- सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों के अलावा अन्य सरकारी एजेंसियों और विभागों को सीआर स्थापित करने और चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सामुदायिक रेडियो की सच्ची भावना के अनुरूप है जो समुदायों द्वारा चलाए और प्रबंधित किए जाते हैं।

- विशेष रूप से कठिन और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के मामलों के आधार पर और क्षेत्र की भौगोलिक विविधताओं और स्थलाकृति के अनुसार निर्धारित 100–वाट ईआरपी से ऊपर सीआर की अनुमति दी जानी चाहिए।

- MOICT एमओआइसीटी की मंजूरी सहित एकल खिड़की तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए सीआर आवेदनों को एकीकृत और त्वरित लाइसेंस देने को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- उन राज्यों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता देना चाहिए जिन राज्यों में अब तक सामुदायिक रेडियो का संचालन नहीं हो पाया है और उन क्षेत्रों के लिए लाइसेंस देने की आवश्यकता है जो मीडिया द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं।

- आपातकालीन और आपदा के समय की स्थितियों के लिए एक अलग राष्ट्रव्यापी फ्रिक्वेंसी आवंटित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपदा–प्रवण क्षेत्रों से लाइसेंस के लिए आए आवेदनों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- स्क्रीनिंग कमेटी के संविधान और इसके कार्य को अधिक पारदर्शी और सही मायने में प्रतिनिधिक, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जाना चाहिए। कमेटी द्वारा आवेदनों की अस्वीकृति के कारण भी सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होने चाहिए।

कार्यक्रम

- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप जो सीआर पर स्थानीय समाचारों को प्रसारित करने की अनुमति देता है, स्वतंत्र रूप से निर्मित समाचार और वर्तमान मामलों के प्रसारण को भारत में सामुदायिक रेडियो पर अनुमति दी जानी चाहिए। आवश्यकता होने पर समाचार प्रसारण और सामयिक घटनाओं के कार्यक्रम के लिए सीआर स्टेशनों को सक्षम बनाने के लिए एफसीआरए की नियमों में फिर से गौर किया जा सकता है।

- सीआर पर प्रसारित स्थानीय सांस्कृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ समुदायों की रक्षा के लिए और स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) नीति में उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

धन–व्यवस्था तथा निगरानी

- सीआर स्टेशनों द्वारा कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की व्याख्या करने के लिए स्पष्ट नियंत्रण तथा संतुलन स्थापित करने वाली स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।

- वित्त वितरण पर निर्णय–निर्माण के लिए स्वायत्त सरकारी निकाय की स्थापना की अनुमति देने के लिए वर्तमान में मौजूद सीआर के सार्वजनिक निधियों के प्रावधान को पुनरू स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- सीआर के लिए विज्ञापन, प्रायोजक और अन्य सरकारी वित्त पोषण पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- डिजिटल भारत के भाग के रूप में प्रत्येक सीआर स्टेशन को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा उच्च गति का ब्रॉडबैंड प्रदान किया जाना चाहिए। यह एफएम प्रसारणों की निगरानी करने में अक्षम सरकारी मामलों का भी समाधान कर सकता है।
- डिजिटल भारत के हिस्से के तौर पर सामुदायिक रेडिया के लिए ऑनलाईन ऑडियो स्ट्रीमिंग उपलब्ध करवाने वाली दूरसंचार कंपनियों को इस्तेमाल डाटा के शुल्क में छूट देना चाहिए।

स्पेक्ट्रम तथा प्रौद्योगिकी

- ट्रांसमीटरों और अन्य प्रसारण उपकरणों की खरीद आसान होनी चाहिए, साथ ही आयात करने पर आयात शुल्क तथा अन्य शुल्कों से सीआर को छूट दी जानी चाहिए।
- कम शक्ति वाले अर्थात 20 वॉट की शक्ति वाले एफएम स्टेशनों की प्रक्रियओं को लाइसेंस देने या लाइसेंस मुक्त करने के लिए व्यवस्था करना।
- प्रसारण के डिजिटलीकरण विशेषकर सामुदायिक रेडियो की दिशा में अधिक सतर्क और विचारपूर्वक कदम उठाना।
- देश का एक व्यवस्थित स्पेक्ट्रम मानचित्र तैयार करना और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करना ताकि देश के कुछ हिस्सों में फ्रिक्वेंसी की उपलब्धता से और अधिक तर्कसंगत और यथार्थवादी दृष्टिकोण लिया जा सके।

-